

शेखर

प्रार्थना पत्र विवर-2025

कानपुर जिला, जिला कानपुर

पंचायत समिति, दिनांक 11/10/25

श्रीमान सम्मानजनक अधिकाारी महोदय

भित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एचट 1958 की धारा 136

अनुमान श्री जौरी शंकर पिता/पति श्री धनराज
बनाम

राज्य सरकार जारिये तहसीलदार बरसी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनुमान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री जौरी शंकर पिता/पति
धनराज निवासी सुरा, पितौरा कृ/की हुं/है।

मेरे/हमारे पटवार हल्का पितौरा के राजस्व ग्राम सुरा, पितौरा में खाता संख्या 233
किता 4 रकबा 0.91 है। भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम जौरी लाल दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में जौरी शंकर दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम जौरी लाल के बजाय जौरी शंकर दर्ज करवाने की कृपा
करावे।

दिनांक 20/09/2025

हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

जौरी शंकर

रिपोर्ट पटवारी हल्का देमलपुरा/पितौरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जौरी शंकर पिता/पति धनराज निवासी
पितौरा राजस्व ग्राम सुरा, पितौरा पटवार हल्का देमलपुरा/पितौरा की जमाबन्दी
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में जौरी शंकर दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भू.अ.नि. देमलपुरा
11/10/25

15
डिप्टी
कॉमिश्नर
बस्सी
जिला चित्तौड़गढ़
राजस्थान

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक-भू.अ./2025/10

दिनांक-11/10/2025

प्रकृति

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

भाषण

सिद्ध है कि प्राणी/प्राणियान श्री गौरीशंकर पिता/पत्नि हेमराज निवासी बस्सी पटवार हल्का खेमपुरा के राजस्व गाम खेमपुरा में जगायन्दी सन्त 2078-81 की खाता संख्या 233 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. में सम्मानजनक जाति/नाम गौरीशंकर की जाति/नाम की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम गौरीशंकर के अंकुश राजस्व रिकार्ड में किया जाया उचित है। दोनों जातियाँ/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। गौरीशंकर उर्फ गौरीलाल गौरीलाल

जारी सम्मान की स्थिति में राज. काश्तकार अभिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

[Signature]
11/10/25

तहसीलदार बस्सी
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक-रीडर/2025/67

दिनांक-31/10/2025

निमित्त

पटवार हल्का खेमपुरा खेमपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थियान के अनुसार श्री गौरीशंकर पिता/पत्नि हेमराज राजस्व गाम खेमपुरा पटवार हल्का खेमपुरा की खाता संख्या 233 में जाति/नाम गौरीलाल दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंखा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थियान श्री गौरीशंकर पिता/पत्नि हेमराज की जाति/नाम गौरीशंकर उर्फ गौरीलाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का खेमपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़